आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

15/11/2018

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद।

जमाबंदी रद्दवाद संख्या–11/AC/2012–13

सरकार बनाम सविता देवी एवं अन्य

आदेश

यह जमाबंदी रद्दवाद समाहर्त्ता न्यायालय जहानाबाद के वाद संख्या–26/D.M/2008 सरकार बनाम सविता देवी एवं अन्य में समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–21.01.2013 को पारित आदेश के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, जहानाबाद के पत्रांक–68/विधि दिनांक–29.09.2013 के द्वारा दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 के तहत निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत वाद का सारांश यह है कि मौजा ईरकी थाना–346 खाता संख्या–56,176 प्लॉट सं0–821, 835, 836, 840 एवं 841 कुल रकवा–0.64½ एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक का जमाबंदी सविता देवी एवं अन्य के नाम थाना अंचल जहानाबाद के नाम से चल रहे जमाबंदी को अंचल अधिकारी जहानाबाद द्वारा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से समाहर्त्ता, जहानाबाद को प्रेषित किया गया दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 के प्रभावी होने के बाद उपरोक्त आदेश द्वारा इस न्यायालय को निष्पादन हेतु प्रेषित किया गया है।

भूमि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.	रैयत का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा	जमाबंदी संख्या
1	सविता देवी, पति–रामेश्वर प्रसाद सिंह, साकिन–पंडुई	56	840	0.10½	213/21
2	जंगली राम, पिता–स्व0 रामशरण राम, सा0–होरिलगंज	56	835/836	0.10	46/17
3	हीरामनी देवी, पति–चन्द्रभूषण शर्मा, सा0–करपी	56	835/836	0.15	309/11
4	नरगीस राम पिता–विशुनराम सा0–होरिलगंज	176	821	0.01/0.03	553/09 536/09
5	नन्द किशोर लाल पिता–मथुरा लाल सा0–ईरकी	176	821	0.03	93/08
6.	कामेश्वर नाथ गुप्ता, पिता–द्वारिका नाथ गुप्ता सा0–ईरकी	56	841	0.17	80/30
7.	हीरामनी देवी, पति–चन्द्रभूषण शर्मा सा0–करपी	176	821	0.05	91/23

उपरोक्त डिमांड धारियों के नाम से चल रहे जमबंदी रद्द वाद की सुनवाई हेतु सभी पक्षकारों को नोटिस का तामिला कराया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है।

विपक्षी रजीव रंजन, राजेश रजंन, कामेश्वर गुप्ता विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, नगेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सवेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं शांति देवी का कहना है कि जमाबंदी रद्द वाद इन विपक्षीयों के विरूद्ध जिला विधि शाखा जहानाबाद के पत्रांक–68 दिनांक–29.01.2013 के आधार पर इस आदलत द्वारा इन विपक्षीयों की निम्नलिखित के निस्पत प्रारंम्भ हुआ है। जिसका खाता सं0–53 प्लॉट सं0–836 रकवा–12डी0 तथा प्लाट

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ... में टिप्पणी, तारी...
1	2	3

न0–841 रकवा–17 डी0 अवस्थित मौजा ग्राम–इरकी थाना–346 अंचल–जहानाबाद है। यह है कि पूर्व में समाहर्त्ता, जहानाबाद के अदालत में उपरोक्त जमीन के निस्पत भी एक धारा–4(H) बिहार भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत तत्कालीन समाहर्त्ता, जहानाबाद के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी के न्यायालय से विधिवत एक केस न0–26/D.M/2008 प्रारम्भ हुआ था जिसमें विपक्षी हाजिर हो कर इस कारवाई की वैधता को चुनौती दिये थे अततः वह मुकदमा सुनवाई के पश्चात इस अदालत मे विपक्षी के इस जमीन के निष्पत भी कायम जमाबंदी को निरस्त करने का निदेश हुआ यानि धारा–4(H) का मुकदमा अंततः विपक्षीगण की इस जमीन के निष्पत आज की तारिख में समाहर्त्ता जहानाबाद के अदालत में कायत नहीं है और इस वाद संख्या–26/D.M/2008 के पश्चात जमाबंदी रद्द वाद संख्या–11/AC 2012–13 प्रारंभ हुआ है। इन विपक्षीयों की उपरोक्त जमीन पुराना सर्वे खतियान के अनुसार भी गैरमजरूआ आम या गैरमजरूआ मलिक या केसरे हिन्द की जमीन नहीं थी बल्कि पुराना सर्वे खयितान के अनुसार भी यह जमीन गैरमजरूआ मोकरीदार के रूप में दर्ज है तथा प्लॉट न0–836 रकवा–12 डी0 जमीन पर तोखन बढई वल्द कन्हाई बढाई का मकान मंय सहन और कुछ उसके द्वारा लगाये गये कुछ वृक्ष थे तथा प्लाट न0–841 ऐराजी 17डी0 पर भी मकान मय सहन तथा कुछ वृक्ष मोसमात रहीमन का था। यह दस्तावेज साबित करता है कि विवादित खाता सं0–53 प्लॉट सं0–836 एराजी 12 डी0 और प्लॉट सं0–841 एराजी 17 डी0 की जमीन यह लोक भूमि नहीं थी और न तो आम जनता के व्यवहार और उपयोग में थी। यह है कि उपरोक्त ज़मीन इस विपक्षीयों के पूर्वज वैधनाथ साहू द्वारा विधिवत निबंधित केवाला द्वारा वर्ष 1923 में कुल ऐराजी 29 डी0 को बीबी सलमा से खरीद की गयी थी और भविष्य मे किसी तरह का अडचन पैदा न हो इसके लिए इसी जमीन को पुनः पुराना सर्वे खतियान के अभियुक्त कॉलम में दर्ज नामित व्यक्ति पोखन बढई का वरिसान मधीर मिस्त्री से एक निबंधित केवाला दिनांक–17.12.1952 को कामेश्वर नाथ गुप्ता के नाम से तहरीर वो तामिल करवाये थे और इस जमीन पर विपक्षीगण और उनके पूर्वज का कब्जा 1923 से ही आज तक चला आ रहा है। कामेश्वर नाथ गुप्ता के नाम से इस जमीन का जमाबंदी जमीनदारी जाने की तारिख से आज तक कायम है एवं बिहार सरकार को लगान देने पर लगान रसीद कटती है। वर्ष 1967 में कामेश्वर नाथ गुप्ता एवं उनके फरीको बीच इस उपरोक्त जमीन का बटवरा हुआ है। और एक निबंधित बटवारा दस्तावेज का भी दिनांक–10.07.1967 को हुआ है जिसमें सभी फरिको को उपरोक्त प्लॉट में मिले हिस्से का अलग–अलग ऐराजी दर्ज है और सभी फरीक अपने–अपने हिस्से में मिली जमीन पर दखल मे है। इस जमीन का एराजी 27 डी0 पर इन विपक्षीयों का पूर्वजों के द्वारा बनाया गया भवन आज भी कायम है जो करीब 80–85 वर्ष पुराना है तथा इस भवन के कुछ अंश में भारत सरकार का डाक विभाग का कार्यालय तथा बिहार सरकार के पी0डब्लू0डी0 का कार्यालय है जो विगत 20–25 वर्षो से अधिक समय से है और यह दोनो विभाग बराबर भू–स्वामी को किराया देते है एवं इनके किराया का निर्धारण गृह नियंत्रण–सह–अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि उपरोक्त जमीन का नगर पालिका सर्वे का खतियान कामश्वेर नाथ गुप्ता के नाम से उपरोक्त सारे दस्तावेजों एवं कब्जा के आधार पर निर्विवाद बना है। इस दस्तावेज की मान्यता पूर्ण से माननीय उच्च न्यायालय पटना का फैसला 2012(3)PLJR पेज न0–30 के आलोक में तब तक है जब तक की इसे या तो सर्वे के द्वारा या सक्षम अदालत के द्वारा इसे रदोबदल या आमन्य नहीं किया जाता है। यह है कि अंतिम प्रकाशित सर्वे खतियान पूर्ण रूप से आवेदन पर प्रभाव कारी है। विपक्षीगण के उपर वर्णित सारे दस्तावेज को आज तक किसी सक्षम अदालत मे चुनौती नहीं दी गयी है तथा विपक्षीगण से भी उपरोक्त जमीन से कब्जा लेने की कार्रवाई बिहार सरकार के द्वारा आज तक नहीं की गयी है जबकि उपरोक्त जमीन पर विपक्षी एवं उनके पूर्वज का कब्जा आज तक लगातार शांतिपूर्वक वर्ष 1923 से लगातार आज तक चला आ रहा है तथा उपरोक्त जमीन का जमाबंदी विपक्षीगण के पूर्वज के नाम से जो कायम है वह विधिवत कायम है इसमें किसी भी तरह का त्रुटी या विसंगित नहीं है। इसी जमीन की चौकीदारी रसीद भी पूर्व में कटती थी